राजस्थान–सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.22(1)न्याय/2017 जयपुर, दिनांक 1.1.2018

:: आज्ञा ::

राजस्थान विधि सेवा के अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक आधार पर निम्नानुसार एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैः–

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती)	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1.	बदन लाल	उप विधि परामर्शी राजस्व (ग्रुप–7) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	उप विधि परामर्शी निदेशालय, पेंशन विभाग, जयपुर	श्री विनोद कुमार जांगिड के स्थान पर
2.	विनोद कुमार जांगिड	उप विधि परामर्शी निदेशालय, पेंशन विभाग, जयपुर	उप विधि परामर्शी राजस्व (ग्रुप–7) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	श्री बदन लाल के स्थान पर
3.	विवेक चौहान	उप विधि परामर्शी खान विभाग, सचिवालय जयपुर	उप विधि परामर्शी विधि वादकरण क्रिमिनल सैल, सचिवालय, जयपुर	श्री गजेन्द्र सिंह के स्थान पर
4.	प्रकाश गुप्ता	उप विधि परामर्शी निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर (स्थानान्तरणाधीन)	उप विधि परामर्शी सवाई मानसिंह, चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	श्री कमल विश्नोई के स्थान पर
5.	हरदयाल सिंह	उप विधि परामर्शी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर (स्थानान्तरणाधीन)	उप विधि परामर्शी कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर	रिक्त पद पर
6.	कमल विश्नोई उप विधि परामर्शी	उप विधि परामर्शी सवाई मानसिंह, चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	संयुक्त विधि परामर्शी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर	श्री संतलाल शर्मा, संयुक्त विधि परामर्शी की पदोन्नति से रिक्त पद के विरूद्ध
7.	गजेन्द्र सिंह सहायक विधि परामर्शी	उप विधि परामर्शी विधि वादकरण क्रिमिनल सैल, सचिवालय, जयपुर	उप विधि परामर्शी खान विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	श्री विवेक चौहान के स्थान पर (उप विधि परामर्शी के पद के विरूद्ध)

आज्ञा से

01/1/2018

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. निजी सचिव, माननीय विधि राज्य मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. संबंधित विभाग को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के क्रम में संबंधित अधिकारियों को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।
5. संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के अनुसार 7 दिवस में पालना सुनिश्चित करें।
6. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

01/1/2018

संयुक्त शासन सचिव